

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय मिड डे मील योजना (Mid Day Meal Scheme)



क्रमांक.एफ ३(४) पा.शि./मिड डे मील/ GOI/

११७

दिनांक ५. ११. १७

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय— प्रारम्भिक शिक्षा
(समस्त)


विषय:- मिड डे मील योजनान्तर्गत विद्यालयों में “न्यूट्रीशन गार्डन” (किचन गार्डन) विकसित करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मिड डे मील योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में “न्यूट्रीशन गार्डन” (किचन गार्डन) विकसित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। न्यूट्रीशन गार्डन (किचन गार्डन) से प्राप्त सब्जियों को मिड डे मील योजना के तहत भोजन पकाने के उपयोग में लिया जायेगा।

न्यूट्रीशन गार्डन (किचन गार्डन) विकसित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश (परिशिष्ट “१”) एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश बुकलेट संलग्न किये जा रहे हैं। इन दिशा-निर्देशों एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विद्यालयों में किचन गार्डन विकसित किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(अभिषेक भगोटिया)
आयुक्त
मिड डे मील

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय मिड डे मील योजना (Mid Day Meal Scheme)



मिड डे मील योजनान्तर्गत विद्यालयों में "न्यूट्रीशन गार्डन" (किचन गार्डन) विकसित करने के लिये दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना:-

- 1.1 मिड डे मील योजनान्तर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में पोषण स्तर को बढ़ाने एवं ताजी एवं स्वादिष्ट सब्जियां उपलब्ध कराये जाने के लिये न्यूट्रीशन गार्डन (किचन गार्डन) विकसित किये जाने हैं।
- 1.2 विद्यालयों में उपलब्ध भूमि का सदृप्योग करते हुये छात्र-छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना।

2. न्यूट्रीशन गार्डन (किचन गार्डन) स्थापना के उद्देश्यः-

- 2.1 ताजी सब्जियों के उपयोग से पोषण तत्वों की कमी को पूरा करना।
- 2.2 विद्यार्थियों को प्रकृति एवं बागवानी के अनुभव प्रदान करना।
- 2.3 विद्यार्थियों को जंक फूड के नुकसान के बारें में तथा सब्जियों की पोषण क्षमता की जानकारी देना।

3. न्यूट्रीशन गार्डन (किचन गार्डन) के लाभः-

- 3.1 विद्यार्थियों को इससे सब्जियों को उगाने एवं बागवानी करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा तथा कृषि और उद्यानिकी को आजीविका का माध्यम भी बना सकते हैं।
- 3.2 यह विद्यार्थियों के शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये अति आवश्यक है।
- 3.3 इसकी स्थापना से वातावरण को सहायता मिलेगी।
- 3.4 विद्यालय में इनकी स्थापना से भूमि की उर्वरता भी बढ़ेगी।
- 3.5 इससे विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग की भावना भी विकसित होगी।
- 3.6 बजार की तुलना में सस्ती एवं उत्तम गुणवत्ता वाली सब्जियां मिलेगी।
- 3.7 विद्यालय में उगी सब्जियों में जहरीली दवाईयां एवं कीटनाशकों का प्रभाव नहीं होता है जबकि बाजार में उगी सब्जियों में जहरीली दवाईयां एवं कीटनाशकों का प्रभाव हो सकता है।

4. छात्रों एवं अभिभावकों का सहयोगः-

न्यूट्रीशन गार्डन (किचन गार्डन) विकसित करने के लिये विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों का सहयोग लिया जावे। न्यूट्रीशन गार्डन (किचन गार्डन) में पानी देना, उनकी नियमित सार-संभाल करना, खाद देना आदि जैसे कार्य के लिये छात्र-छात्राओं को जिम्मेदारी दी जावे। छात्रों के अभिभावकों को भी इसमें सहयोग प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जावे। अभिभावक अध्यापक वैठक में भी किचन गार्डन का अवलोकन कराया जावे एवं इसका प्रचार-प्रसार

आमजन में भी किया जावे। विद्यालय में कार्यरत इच्छुक अध्यापकों एवं कुक कम हैल्पर से भी इस कार्य में सहयोग लिया जा सकता है।

5. **न्यूट्रीशन गार्डन (किचन गार्डन)** स्थापना के विभिन्न चरणः—इन गार्डन की स्थापना शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में की जा सकती है, जिन विद्यालयों की स्वयं की भूमि है वहां इन्हें आसानी से स्थापित किया जा सकता है तथा जहां भूमि की कमी अथवा अभाव है वहां पर कंटेनर्स, जार, उपयोग में नहीं आने वाले मिटटी के बर्तन, लकड़ी की पेटी, सेरेमिक के सिंक तथा आटे के थैले में भी सब्जियों को उगाया जा सकता है।

उगाई जाने वाली सब्जियों में लौकी, मूली, गाजर, पोदिना, धनिया, पालक, टमाटर, अरबी, आलू, मीठा नीम एवं फल इत्यादि को उगाया जा सकता है। मौसम के अनुसार उगाई जाने वाली सब्जियों एवं फलों की जानकारी के लिये स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, कृषि विश्वविद्यालय संस्थाओं के बनस्पति शास्त्र के विभाग इत्यादि से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

6. **भुगतान व्यवस्था**— न्यूट्रीशन गार्डन (किचन गार्डन) विकसित किये जाने के लिये अधिकतम 5000रु. प्रति विद्यालय बीज, खाद्य एवं आवश्यक उपकरण क्रय किये जाने हेतु व्यय किये जा सकते हैं। जिन विद्यालयों में भूमि की कमी अथवा अभाव वहां आवश्यकता के अनुसार ही राशि उपलब्ध कराई जावे, ऐसे विद्यालयों में गमलों में अथवा छतों पर भी किचन गार्डन विकसित किये जा सकते हैं।

7. अन्य महत्वपूर्ण निर्देशः—

- 7.1 रासायनिक खाद्य एवं कैमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जावे अपितु जैविक खाद यथा पेड़—पौधों की पत्तियां, गोबर आदि का ही इस्तेमाल किया जावे।
- 7.2 स्वयं सेवी संस्था, ईको क्लब, स्काउट एवं एनसीसी कैडेट्स के छात्र—छात्राओं, विद्यालय विकास समिति के सदस्यों, ग्रामीण जन का भी सहयोग लिया जा सकता है।
- 7.3 छात्रों के योगदान एवं अन्य गतिविधियों की नियमित रूप से तस्वीरें ली जाकर नियमित रूप से विभागीय ई—मेल आईडी पर भिजवाई जावे।
- 7.4 किचन गार्डन से प्राप्त सब्जियों एवं फलों का मिड डे मील में उपयोग में लिया जावे एवं इसका रिकॉर्ड भी संधारण किया जावे।
- 7.5 जिन विद्यालयों में न्यूट्रीशन गार्डन (किचन गार्डन) पहले से ही विकसित है उनको भी इस सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये जावें एवं आकलन कर आवश्यक राशि का निर्धारण कर आवश्यकता अनुरूप राशि उपलब्ध कराई जावे।
- 7.6 जिला एवं खण्ड स्तर पर एक आदर्श न्यूट्रीशन गार्डन (किचन गार्डन) विकसित करें ताकि अन्य विद्यालयों को जानकारी दी जा सके।
- 7.7 विद्यालयों में पूर्व में स्थापित एवं नये न्यूट्रीशन गार्डन स्थापित करने के प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र 1, 2 एवं 3 में (सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी) संकलित कर दस दिवस में मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


(अभिषेक भगोटिया)
आयुक्त
मिड डे मील

विद्यालयों में न्यूट्रीशन गार्डन (किचन गार्डन) तैयार करने के लिये राशि का मांग-पत्र

प्रपत्र-1

विद्यालय जिनमें पर्याप्त भूमि है एवं नवीन किचन गार्डन तैयार किये जाने है

S.N.	U-DISE code	School Name	Required Amount
1	2	3	4

प्रपत्र-2

विद्यालय जिनमें पूर्व से न्यूट्रीशन गार्डन (किचन गार्डन) उपलब्ध है

S.N.	U-DISE code	School Name	Required Amount
1	2	3	4

प्रपत्र-3

भूमि की कमी /अभाव

S.N.	U-DISE code	School Name	Required Amount
1	2	3	4

नोट:- न्यूट्रीशन गार्डन (किचन गार्डन) तैयार करने के लिये अधिकतम 5000/- रु. का प्रावधान किया गया है, लेकिन भूमि की उपलब्धता एवं भौतिक स्थिति का आकलन कर राशि का मांग-पत्र तैयार किया जावे।